

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड (नापुबोर्ड)



खोले जाने की तिथि	विज्ञापन सं. 02/2022(एन.आर.बी.)	बंद किए जाने की तिथि
01.07.2022.		31.07.2022.

1. नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड(ना.पु.बोर्ड), मुंबई, तारापुर, एवं कल्पाक्कम में भर्ती हेतु अभ्यर्थियो से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

I. आश्लिपिक पदक्रम-3 समूह ग अराजपत्रित	
रिक्तियों की संख्या	06 - [अनारक्षित-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-1, अन्सूचित जाति-1, अन्सूचित जनजाति-1]
अर्हता	क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रीक्लेशन एसएससी या समकक्ष
	ख) अँग्रेजी आश्लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति
	ग) अँग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति
आयु सीमा	ऑनलाइन आवेदन की पावती की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 27
	वर्ष [27 वर्ष तक सामान्य वर्ग अनारिक्षत, 30 वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 32 वर्ष
	तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
वेतन	रू.25,500 वेतन आव्यूह के स्तर 4 में खाना (सेल) सं.1 तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों
	को स्वीकार्य सामान्य भत्ते
चयन का प्रकार	स्तर 1: वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिसमें सामान्य अँग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि तथा
	तर्क, मात्रात्मक योग्यता (अंकगणित)
	अंक देने की योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत
	उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा ।
	स्तर -2: आशुलिपि कौशल परीक्षण
	स्तर-1 परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक मानक: सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के लिए कुल
	50% और अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विकलांग के लिए
	कुल 40% ।
	नामिकायन मानदंड : स्तर 1 और 2 में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर।
कार्य की प्रकृति	सचिवीय कार्यभार

II. चालक सामान्य पदक्रम समूह ग अराजपत्रित	
रिक्तियों की संख्या	11 - [अनारक्षित-4, आर्थिक रूप से कमजोर लोकवर्ग-1, अन्य पिछड़ा वर्ग-2, अनुसूचित
	जाति-२, अन्सूचित जनजाति-२]
अर्हता	क) दसवीं (एसएससी) उत्तीर्ण
	ख) हल्के तथा भारी वाहन चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त होना
	ग) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान तथा अभ्यर्थी को वाहन की छोटी-मोटी खराबी ठीक करने
	में समर्थ होना चाहिए।
	घ) हल्के वाहन तथा भारी वाहन चलाने का कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा	ऑनलाइन आवेदन की पावती की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 27
	वर्ष [27 वर्ष तक सामान्य वर्ग अनारक्षित, 30 वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 32 वर्ष
	तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

वेतन	रू.19,900 वेतन आव्यूह के स्तर 2 में खाना (सेल) सं.1 तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों
	को स्वीकार्य सामान्य भटते
चयन का प्रकार	<u>स्तर 1</u> : वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक घंटे की अवधि जिसमें सामान्य अँग्रेजी, सामान्य ज्ञान,
	मात्रात्मक योग्यता (अंकगणित), तथा मोटर वाहन अधिनियम।
	अंक देने की योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत
	उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा ।
	स्तर-1 परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक मानक: सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के लिए कुल
	50% और अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कुल 40% । (स्तर
	1 लिखित परीक्षा में योग्य पाएँ गए अभ्यर्थियों को ही स्तर 2 चालन परीक्षा के लिए
	बुलाया जाएगा।)
	<u>स्तर -2</u> : चालन परीक्षा।
	नामिकायन मानदंड : स्तर 1 (40%) और स्तर 2 (60%) में प्राप्त संयुक्त अंकों के
	आधार पर।
कार्य की प्रकृति	हल्के या भारी वाहन या दोनों चलाना होगा। इसमें छोटे-मोटे मरम्मत का संकर्म करना
_	होगा। रात-दिन की पारी में कार्यभार का निर्वहन भी करना होगा।

॥।. कार्य सहायक	ए समूह ग अराजपत्रित (अनुषंगी) तलचिहन (बेंचमार्क) अपंगता सहित व्यक्तियों
(पीडब्ल्यूडी) के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान की गई।	
रिक्तियों की संख्या	72 - [अनारक्षित-20, आर्थिक रूप से कमजोर लोकवर्ग-3, अन्य पिछड़ा वर्ग-15,
	अन्सूचित जाति-15, अन्सूचित जनजाति-12, विकलांग (पी डब्ल्यू डी)-7*
अर्हता	दसवीं एसएससी उत्तीर्ण
आय् सीमा	ऑनलाइन आवेदन की पावती की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 27
3	वर्ष [27 वर्ष तक सामान्य वर्ग अनारिक्षत, 30 वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 32 वर्ष
	तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
वेतन	रू.18,000 वेतन आव्यूह के स्तर 1 में खाना (सेल) सं.1 तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों
	को स्वीकार्य सामान्य भटते
चयन का प्रकार	स्तर 1 : प्रारंभिक परीक्षा : परीक्षा में एक घंटे की अवधि के लिए 50 बह्-विकल्पीय प्रश्न
	होंगे जिसमें गणित के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न तथा सामान्य बोध के 10 प्रश्न
	रहेंगे।
	अंक देने की योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक
	गलत उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा ।
	<u>ध्यान दें</u> : सामान्य वर्ग में 40% से कम अंक लाने वाले तथा आरक्षित वर्ग में 30% से
	कम अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों की छँटनी की जाएगी।
	स्तर <u>२- प्रगत परीक्षा</u> : चरण-1 में अर्हक (योग्य) होने वाले अभ्यर्थी प्रगत परीक्षा हेतु
	पात्र होंगे, जिसमें दो घंटे की अविध के लिए 50 बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें गणित
	के 15 प्रश्न, विज्ञान के 15 प्रश्न, सामान्य बोध के10 प्रश्न तथा मूलभूत अँग्रेजी के 10
	प्रश्न रहेंगे।
	<u>अंक देने की योजना</u> : प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिए जाएँगे तथा प्रत्येक
	गलत उत्तर के लिए'1' अंक काटा जाएगा ।

अंतिम योग्यता क्रमसूची स्तर 2 में प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अंक बराबर होने की स्थिति में, योग्यता-क्रमसूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए अनुक्रम में निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा : (1) चरण-2 में कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। (2) चरण-1 में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। (3) चरण-1 में कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। (4) चरण-1 में गणित में अधिक सकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। (5) चरण-1 में विज्ञान में अधिक सकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता-क्रमसूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। कार्य की प्रकृति प्रयोगशालाओं, कार्यालय भवनों तथा आसपास के क्षेत्रों, जिसमें शौचालय सम्मिलित है, का प्रसाधनजन्य रखरखाव। संपूर्ण क्षेत्र में साफ-सुथरा और स्वच्छ परिवेश प्रदान करना। संयंत्रों/मशीनरी की सफाई तथा वि-संदूषण करना। संयंत्रों/कर्मशालाओं/भंडार और अन्य उपयोगिता क्षेत्र में सहायता करना। कार्यभार (इयूटी) में रात-दिन की पारी भी निहित हो सकती है। कार्यभार (ड्यूटी) में उद्यान विकसित करना शामिल है जिसमें मिट्टी की ख्दाई और विभिन्न पौधों के रोपण का कार्य करना होगा। उद्यानों का रख-रखाव करना होगा, जिसमें झाडू लगाना, सिंचाई करना, निराई-ग्ड़ाई करना, लवाई-कटाई करना, खाद देना, पौधों का कृंतन (छँटाई) और प्रवर्धन करना और फूलों की व्यवस्था करना होगा।

* रिक्तियों को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार तलचिहन (बेंचमार्क) अपंगता सिहत व्यक्तियों (पीडब्ल्यू बीडी) के रूप में पहचान की गई है। पहचान की गई अपंगता : अस्थि विकलांगता (प्रभावित एक पैर/ एक हाथ), श्रवण विकार अंशत: बिधर। शारीरिक विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें : श्रवण विकार का अर्थ बेहतर कान में आवृत्तियों की संवादी श्रेणी (रेन्ज) में 60 डेसीबल या इससे अधिक की क्षिति है।

आयु की निर्धारित ऊपरी सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :

विविध कार्यालय कार्य

- सरकारी आदेशों के अनुसार विधवा, तलाकशुदा महिलाएँ और न्यायिक तरीके से अपने पित से अलग होने के बाद फिर से शादी नहीं करने वाली महिलाएँ, आयु की ऊपरी सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।
- पूर्व-सैनिक हेतु आयु में छूट भारत सारकार के आदेशों के अनुसार होगी।
- तलचिहन (बेंचमार्क) अपंगता सिहत व्यक्तियों (पीडब्ल्यू बीडी) को आयु की निर्धारित ऊपरी सीमा में छूट अनारक्षित वर्ग को 10 वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को 15 वर्ष तक स्वीकार्य है।
- सरकारी आदेशों के अनुसार सुयोग्य खिलाड़ियों को छूट दी जाएगी।
- भारत में वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों / परिवार के सदस्यों को आयु की ऊपरी सीमामें
 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी।

3. अभिभावी अतिरिक्त स्विधाएँ:

नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार होंगे :

- ✓ कार्य का उत्साहजनक वातावरण ।
- 🗸 पऊवि की योग्यता पदोन्नति योजना के अंतर्गत शामिल उच्चतर पदक्रमों (ग्रेडों) में पदोन्नति।
- √ स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख।
- ✓ आकर्षक कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन।
- आकर्षक व्यावसायिक अद्यतन भत्ता।
- 🗸 स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत।
- 🗸 भारत सरकार के आदेशों के अन्सार, अन्शिक्षा श्ल्क की प्रतिपूर्ति/ विभागीय आवास।
- 4. चयनित अभ्यर्थी, अपनी नियुक्ति होने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से शासित होंगे ।
- 5. आवेदन श्ल्क :
 - i. आवेदन श्ल्क रू.100/- का भ्गतान की रीति ऑनलाइन के माध्यम से होगी।
 - ii. छूट : अजा/ अजजा, विकलांग (पी डब्ल्यू डी), महिला वर्ग तथा पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को श्ल्क से छूट है।
 - iii. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्मित आवेदन संख्या की आवश्यकता आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पड़ेगी तथा इसीलिए आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। लेकिन, शुल्क का भुगतान 'नहीं' करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा तथा इसलिए आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।
 - iv. ऑनलाइन आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक अथवा इससे पूर्व आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि/अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अग्रिम रूप से ऑनलाइन भुगतान कर दें।
 - v. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और किसी अन्य भर्ती के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता है

6. सामान्य शर्ते :

- i. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- ii. ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 01.07.2022 से 31.07.2022 तक उपलब्ध रहेगी। कृपया विस्तृत जानकारी, आवेदन ऑनलाइन जमा करने तथा आवेदन शुल्क के भुगतान की क्रियाविधि हेतु वेबसाइट https://recurit.barc.gov.in पर जाएँ।
- iii. अभ्यर्थी एक ही पद के लिए अनेक आवेदन जमा न करें।
- iv. अभ्यर्थी सही जानकारी भरना सुनिश्चित करें। गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके आगे, नापुबोर्ड, भापअकेंद्र के पास किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

- v. अजा/ अजजा/ अपिजा/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन में इसे (अपने वर्ग के विषय में) स्पष्ट रूप से इंगित करें (अनारक्षित रिक्ति हेतु आवेदन करते समय भी) और कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा और बाद में जाति संबंधी प्रस्थिति के परिवर्तन हेतु किसी भी उत्तरवर्ती अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi. अभ्यर्थियों के पास विधिमान्य ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए । इन्हें इस भर्ती की प्रवर्तनाविध के दौरान क्रियाशील रखा जाए ।
- vii. इस मामले में बाद में किसी भी उत्तरवर्ती संशोधन/आशोधन, आदि को केवल भापअकेंद्र की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसका संदर्भ अभ्यर्थी नियमित रूप से लेना होगा। अभ्यर्थी वेबसाईट नियमित रूप से देखते रहें। वेबसाइट पर इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना को अभ्यर्थियों को दी गई सूचना माना जाए।
- viii. ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम एवं परिवर्तन के अधीन हैं । विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन भी है और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार यदि दूसरा निर्णय लिया जाता है, तो इन्हें नहीं भरा जाएगा ।
- ix. प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को केवल तभी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा जब मुख्य सूची का अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता। प्रतीक्षा सूची के कार्यशील रहने की विधिमान्यता चयन पैनल तैयार होने की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी।
- x. विज्ञापन में विहित किए गए अनुसार, अनुभव की अविध सिहत पात्रता के मानदंड का निर्धारण आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के संदर्भ में किया जाएगा।
- xi. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निर्धारित शैक्षाणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है या नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

xii.

- xiii. यदि विश्वविद्यालय / बोर्ड श्रेणी (ग्रेड) पत्र / सीजीपीए / ओजीपीए / एसजीपीए प्रदान करता है, तो उस विश्वविद्यालय / बोर्ड के अपनाए मानदंडों के अनुसार इनके समकक्ष अंकों का प्रतिशत सूचित करना आवश्यक है । यदि अंकों का प्रतिशत नहीं दर्शाया जाता है, तो अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xiv. चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेक और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार होगी। वे भारत के किसी भी भाग में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।
- xv. केंद्र / राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के तहत काम करने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उन्हें कौशल परीक्षा / के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xvi. लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा के समय, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र (वेबसाइट से डाउनलोड कर के) का प्रिंट आउट तथा पहचान साक्ष्य के समर्थन में (आधार कार्ड/ पेन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ मतदाता पत्र) की मूल प्रति लाना होगा ।
- xvii. आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापन संबंधी दस्तावेजों के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि बाद की किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि आवेदन के द्वारा प्रस्तुत सूचना मिथ्या है या आवेदक पात्रता संबंधी किसी शर्त को पूरा नहीं करता है,

तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का जारी किया जाना, नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही नियुक्ति पूर्णतया निर्भर करेगी।

- xviii. लिखित परीक्षा हेतु बाहय स्थान से बुलाए गए अजा/अजजा अभ्यर्थियों को आने-जाने के लिए सबसे छोटे मार्ग के दिवितीय श्रेणी के रेल भाड़े का यात्रा भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा, जो टिकट प्रस्तुत करने के अधीन होगा। लेकिन, जो अजा/अजजा के अभ्यर्थी पहले ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं में, केंद्र/राज्य सरकार के निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों तथा पंचायतों में कार्यरत हैं तथा लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए रेलवे से यात्रा संबंधी कोई रियायत ले चुके हैं, उन्हें यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- xix. यात्रा भत्ता प्रपत्र https://recruit.barc.gov.in से डाउनलोड करें। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति स्व-अनुप्रमाणित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र, बेरोजगारी प्रमाणपत्र तथा टिकट/ई-टिकट प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा। इस प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संलग्नक-6 डाउनलोड कर के सूचना दें।
- xx. उपर्युक्त वर्गों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यभार की प्रकृति में प्रचालनरत संयंत्रों तथा क्षेत्रों में रात-दिन की पारी निहित है।
- xxi. नियुक्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय पंशन योजना से शासित होंगे।
- xxii. नापुबोर्ड, भापअ केंद्र के पास बिना सूचित किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने अथवा संपूर्ण भर्ती प्रिक्रिया रद्द करने/ प्रतिबंधित करने/ संशोधित करने/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। नापुबो/भापअकेंद्र के पास किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- xxiii. विकलांगों के लिए प्रतिपूरक समय, भारत सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार दिया जाएगा।
- xxiv. जिन पूर्व सैनिकों ने अपने पुनः नियोजन हेतु पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभों का उपयोग कर के नियमित आधार पर ग समूह के पदों में केंद्र सरकार के अधीन असैनिक (सिविल) क्षेत्र में पहले ही रोजगार ले लिया है, वे पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

7. चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के समय जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ

- a) शैक्षणिक योग्यता, अनुभव यथा लागू एवं तकनीकी योग्यताएँ (परीक्षा के विषयों की सूचना देने वाली समुचित अंकपत्रों* से समर्थित।) (*सत्र/सत्रार्ध/वर्ष वार अंकस्चियाँ तथा समेकित अंकपत्र)
- b) जन्मतिथि/ आय् का प्रमाण।
- c) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग [अनुलग्नक-1* में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में जाति प्रमाणपत्र प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।* राष्ट्रपति के आदेशों में संबंधित राज्य के अंतर्गत उस जाति/समुदाय को शामिल होना चाहिए।]
- d) अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित आरूप (फॉरमेट) में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ तथा अ-नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए और केंद्र की सूचियों की अन्य पिछड़ी जाति में यह जाति/समुदाय सिम्मिलित होना चाहिए। अन्य पिछड़ा जाति के नवोन्नत वर्ग के प्रमाणपत्र का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। अन्य पिछड़ी जाति के

- अभ्यर्थी को <u>अनुलग्नक-2</u>* में प्रदत्त आरूप (फॉरमेट) में अ-नवोन्नत वर्ग की स्व-घोषणा भी संलग्न करना होगा।
- e) आयु में छूट एवं आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ होगा : "अन्य पिछड़ी जाति के वर्ग के लोग, जो नवोन्नत वर्ग से संबंधित नहीं हैं", जैसा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन क्र. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में परिभाषित है तथा इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 14.10.2008 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) देखें तथा भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017 के नवीनतम संशोधित कार्यालय ज्ञापन क्र. 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) देखें। [अनुलग्नक-3* में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फॉरमेट) के अन्सार]
- f) शारीरिक विकलांगता के बारे में समुचित प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र [<u>अनुलग्नक-4</u>* प्रदत्त आरूप (फारमेट) के अनुसार (विकलांगों पर लागू)]
- g) विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1995 (1996 के 1) के अनुभाग 73 के उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा 31/12/1996 को अधिसूचित विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा मंडल (बोर्ड) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र। केंद्र/ राज्य सरकार न्यूनतम तीन सदस्यों से युक्त चिकित्सा मंडल (मेडिकल बोर्ड) का गठन कर सकती है, जिसमें से न्यूनतम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।
- h) प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए पाँच (5) वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा, जिनकी विकलांगता अस्थायी है। यिद विकलांगता के अंश में भिन्नता की संभावना है, तो मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अविध को इंगित करेगा। जो स्थायी रूप से विकलांग हैं, उनके लिए विधिमान्यता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और पिरिस्थितियों के संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में ऐसे आदेश पिरित कर सकता है, जैसा वह उचित समझता हो।
- i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन लोगों का चयन उनकी अर्हता (योग्यता) के आधार पर मानकों में कोई छूट दिए बिना अन्य अभ्यर्थियों के साथ किया जाएगा, उनका चयन अनारक्षित रिक्तियों के लिए माना जाएगा, बशर्ते वह पद संबंधित वर्ग के विकलांगों के लिए चिहिनत न किया गया हो। (यथा लागू)।
- j) वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण (यदि आय् में छूट का दावा किया गया है।)।
- k) ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग) आरक्षण : जो अभ्यर्थी अजा/ अजजा/ अपिव हेतु आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रू.8 लाख (रुपए आठ लाख) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लाभार्थ ईडब्ल्यूएस के रूप में चिहिनत किया जाएगा। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति, आदि से होने वाली आय भी शामिल की जाएगी तथा यह आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास या कब्जे में निम्नलिखित में से कोई संपत्ति है, उन्हें भी, उनकी पारिवारिक आय कम होने के बावजूद, ईडब्ल्यूएस के रूप में चिहिनत नहीं किया जाएगा।

- 1) पाँच (5) एकड़ कृषि भूमि और ऊपर;
- 2) 1000 वर्ग फ्ट और इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- 3) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- 4) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- ईडब्ल्यूएस की प्रस्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति के स्वामित्व की जाँच हेतु आवेदन करते
 समय, विभिन्न अवस्थितियों या विभिन्न स्थानों/ स्थलों में "परिवार" की संपत्ति को जोड़ा जाए।
- m) इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेता हो और उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के सहोदर के साथ-साथ उसके विवाहिती तथा संतान भी शामिल होंगे।
- n) ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपित्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर के लिया जा सकता है। <u>अनुबंध 5*</u> में प्रदत्त निर्धारित आरूप (फारमेट) में निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपित्त प्रमाणपत्र ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के रूप में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा :
 - क) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के वैतनिक (संबलग्राही) मजिस्ट्रेट/ उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - ख) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
 - ग) तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का राजस्व अधिकारी नहीं हो।
 - घ) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी (उम्मीदवार) और/ या उनका परिवार सामान्यत: रहतेहैं।
- o) ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के सामने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) के पास आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके आगे, इन अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान विधिमान्य आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है। इन अनुबंधों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस की आरक्षित प्रस्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और सामान्य (अनारक्षित : यूआर) वर्ग के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने पर ऐसे अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) की अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी)/ आवेदन पर सिर्फ सामान्य (अनारक्षित : यूआर) वर्ग की रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा।
- p) यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी लाभ लेने के लिए पात्रता है, तो इस विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रस्थिति पर ही विचार किया जाएगा। इसके बाद, अभ्यर्थी के समुदाय/ ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रस्थिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- q) 'पूर्व सैनिक' वर्ग के तहत छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संलग्नक 7
- r) केंद्र / राज्य सरकार की सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों और पंचायत में पहले से कार्यरत उम्मीदवार के मामले में वर्तमान नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'.
- s) अन्य संबंधित प्रमाणपत्र।(यथा लागू)

संलग्नक 1 से 7 तक वेबसाइट https://recruit.barc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

8. चेतावनी :

- केवल विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने मात्र से ही कोई अभ्यर्थी चयन के योग्य नहीं हो जाएगा । जो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाएँगे उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 2. लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा हेतु, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर लघुसूचीकृत किया जाएगा । उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई सूचनाएं सही हैं । यदि किसी अवस्था में अथवा साक्षात्कार के समय यह पाया जाता है कि उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना अथवा उनके द्वारा किए गए दावे मिथ्या/गलत हैं तो उनकी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी) रद्द कर दी जाएगी और जैसा उपयुक्त होगा, वैसा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई भी की जाएगी ।

जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अविध से अधिक नहीं रखा जाएगा तथा इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा

पुछताछ के लिए यहाँ संपर्क करें : 022-25597983 / 25597855 / 2559715

* * * *





Government of India Department of Atomic Energy Bhabha Atomic ResearchCentre NUCLEAR RECYCLE BOARD



Opening date: 01.07.2022

Advertisement No. 02/2022(NRB)

Closing date: 31.07.2022

<u>Updated</u> <u>Advertisement</u>.

- 1. ONLINE Applications are invited from eligible candidates for appointment to the following posts in Nuclear Recycle Board (NRB) at Kalpakkam, Tarapur & Mumbai.
 - I. STENOGRAPHER (GRADE-III) Group"C" Non-Gazetted

Number of vacancies	06 (UR: 03, OBC:1, SC:01, ST:01)	
Qualifications	 a) Matriculation (10th Std.) or equivalent with minimum of 50% marks b) Minimum speed of 80 words per minute in English Stenography c) Typing speed in English of 30 words per minute. 	
Age limit	Minimum 18 years and Maximum 27 years as on the last date of receipt of online application (General category(UR) upto 27 years, OBC upto 30 years & SC/ST upto 32 years)	
Pay	Rs. 25,500 (Cell No.1 in Level 04 of Pay Matrix) plus usual allowances as admissible to Central Government Employees	
Mode of Selection	<u>Level-1</u> : Objective test of <u>ONE hour</u> duration covering General English, General Knowledge, General intelligence & Reasoning, Quantitative Aptitude (Arithmetic).	
	Marking Scheme: "3" marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer.	
	<u>Level-2</u> : Stenography Skill Test	
	Minimum qualifying standard for Level-1 Test 50% aggregate for General Category (UR) and 40% aggregate for OBC/SC/ST/PH.	
	Empanelment criteria: Based on combined marks scored in Level 1 & 2.	
Nature of duties	Secretarial duties	

II. DRIVER (ORDINARY GRADE) - Group"C" Non-Gazetted

and nould and	
nould	
and	
ana	
date	
to 27	
.0 21	
usual	
S	
neral	
Marking Scheme: "3" marks will be awarded for each correct	
answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer.	
Level-2: Driving Test.	
Minimum qualifying standard for Level-1 Test 50% marks for	
Empanelment criteria: Weightage for: Level 1- 40% & Level-2-60%.	
عطال	
ill be	
nding	
Clock	
J.00.K	
t lee co	

III. WORK ASSISTANT-A - Group"C" Non-Gazetted (Auxiliary)

Number of vacancies	72 (UR: 20, EWS:3 OBC:15, SC:15, ST:12, PwBD: 07*	
	*Identified suitable for Persons with Benchmark Disabilities (PwD)	
Qualifications	Pass in 10 th standard (SSC).	
Age limit	Minimum 18 years and Maximum 27 years as on the last date	
	of receipt of online application (General category(UR) upto 27 years, OBC upto 30 years & SC/ST upto 32 years)	
Pay	Rs. 18,000 (Cell No.1 in Level 01 of Pay Matrix) plus usual	
	allowances as admissible to Central Government Employees	
Mode of Selection	Level-1: Preliminary Test	
	50 multiple choice questions of ONE hour duration consisting of	
	Mathematics (20 Questions), Science(20 Questions) and	
	General Awareness(10 Questions).	
	Marking Scheme: "3" marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer.	

Note: Candidates scoring less than 40% in General Category will be screened out and for reserved category, the lowest cut-off will not be fixed below 30%.

Level-2 - Advanced Test

Candidates qualifying in Level-1 Preliminary Test will be eligible for Advanced Test comprising 50 Objective Type questions of TWO hour duration consisting of Mathematics(15 Questions), Science (15 Questions), General Awareness(10 questions) and Basic English (10 Questions).

<u>Marking Scheme:</u> "3" marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer.

<u>Final Merit List</u> shall be prepared based on the scores obtained in Level-2.

In the event of tie, following criteria will be adopted in sequence for deciding position in merit list:

- 1. Candidates with lower negative marks in Level-2 to be placed higher on the merit list.
- Candidate with higher marks in Level-1 to be placed higher on the merit list.
- 3. Candidates with lower negative marks in Level-1 to be placed higher on the merit list.
- 4. Candidate with higher positive marks in mathematics in Level-1 to be placed higher on the merit list.
- 5. Candidate with higher positive marks in Science in Level-1 to be placed higher on the merit list.

Nature of duties

Cosmetic maintenance of laboratories, office buildings, surrounding areas including toilets, providing clean, neat and hygienic ambience in the area.

Cleaning and decontamination of plants/machinery, assistance in plants/workshops/store and other utility area. The duty may also involve working in Round the Clock Shifts.

Duties includes developing the gardens by digging soil and planting of different plants; maintenance of gardens by sweeping, watering, weeding, mowing, manuring, pruning and propagating plants and flower arrangements.

Miscellaneous Office Works etc.,

^(*)The vacancies are identified for Persons with Benchmark Disability (PwBD) as per Govt.of India orders. Identified Disability: Orthopedically Handicapped (One Leg/One Arm affected), Hearing Impairment (Partially deaf). Physical disability should not be less than 40%.

Note: Hearing Impairment means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

2. The upper age limit prescribed will be relaxable as under:

- Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and not remarried are eligible for relaxation in the upper age as per Government of India orders.
- Relaxation in age for Ex-Servicemen will be as per Government of India orders.
- Relaxation in the upper age limit of 10 years for UR Category, 13 Years for OBC Category and 15 years for SC/ST category shall be admissible to Persons with Benchmark Disability.
- Relaxation for Meritorious Sportspersons will be as per Government Orders.
- Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who dies in the 1984 riots in India.

3. Prevailing additional benefits:

In addition to the normal Pay and Allowances as admissible under rules, the employees of the Department of Atomic Energy are entitled for:

- ✓ Exciting working environment
- ✓ Promotions to higher grades based on Departmental Qualifying Exam / Senioritycum-Fitness / Merit Promotion Scheme of DAE as applicable to respective posts.
- ✓ Healthcare for self and family members.
- ✓ Attractive performance related incentives (subject to orders).
- ✓ Attractive professional update allowance (subject to orders).
- ✓ Leave Travel Concession for self and family.
- ✓ Reimbursement of Tuition fee / Departmental Accommodation as per Government of India Orders.
- **4.** Selected candidates, on their appointment, will be governed by the National Pension System (NPS).

5. APPLICATION FEE:

- i) Mode of payment of the Application Fee through Online is Rs.100/=
- ii) <u>Exemption</u>: Candidates belonging to SC, ST, PWD, Women & Ex-servicemen are exempted from payment of Application Fee.
- iii) The Application number will be generated after the submission of the application which is required for making online payment of the application fee and hence submission of application is mandatory before online payment of application fees. However, fee NOT paid will be treated as incomplete application and hence the application will be rejected.

- iv) Application fee should be paid on or before the last date of receipt of online applications. Therefore, Candidates are advised to make the online payment well in advance without waiting for closing date/last date of submission of online application.
- v) Fee once paid shall not be refunded under any circumstances and cannot be held in reserve for any other recruitment.

6. General Conditions:

- i. Applications will be accepted ONLINE only.
- ii. Facility for applying online will be available from **01.07.2022 to 31.07.2022**, Please visit website: https://recruit.barc.gov.in for detailed information, online submission of application and procedure for payment of application fee.
- iii. Candidate should not submit multiple applications for the same post.
- iv. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information will be disqualified for written examination. NRB/BARC further reserves the right to reject the candidature of any applicant at any stage.
- v. Candidates belonging to EWS/OBC/SC/ST category should clearly indicate the same in the application (even when applying for UR vacancy) and should furnish proof of the same in the specified format at the time of Written Examination (as applicable) failing which they will be treated as Unreserved and subsequent representation for change of community status will not be entertained.
- vi. Candidates are required to have a valid e-mail ID and Mobile number. It should be kept active during the currency of this recruitment.
- vii. Candidates must regularly check the website. All information related to the recruitment will be made available on the website. Information displayed on the website will be deemed as intimation to the candidates.
- viii. The vacancies shown above are provisional and subject to variation. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of the Competent Authority and may not be filled up if decided otherwise in terms of the orders issued by Government from time to time.
- ix. Candidates empanelled under WAITING LIST will be offered appointment ONLY in case candidate in the MAIN LIST does not join. The validity of operation of wait list will be one year from the date of preparation of select panel.
- x. The eligibility criteria in the advertisement will be determined with reference to the last date of receipt of application. Before applying, candidates should ensure that they fulfill all the eligibility conditions and required educational qualifications mentioned in the advertisement.
- xi. Candidates who are still pursuing the educational qualification prescribed in the Advertisement as on the closing date of receipt of application will not be eligible to apply.
- xii. Mere fulfillment of requirement as laid down in the advertisement does not entitle a candidate to be called for written test.

- xiii. CGPA or its equivalent grades obtained by the candidate will have to be indicated as equivalent percentage of marks by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University/Institutions' norms. In the absence of the same, the candidature will not be considered.
- xiv. Posting of candidates selected will be at the discretion of the Competent Authority and subject to the availability of vacancy and they are liable to serve in any part of India and in any constituent units of the Department of Atomic Energy.
- xv. Candidates working under the Central/State Government, PSUs, Autonomous Bodies etc., are required to submit "NO OBJECTION CERTIFICATE" at the time of submission of documents for verification during skill test, failing which they will not be allowed to appear for the examination.
- xvi. Candidates while appearing for the Written Test/Skill Test must bring a print out of the online Application submitted, admit card (to be downloaded from the website) along with the documents in support of identity proof (Aadhar Card/PAN Card/Driving License/Voter Card) in original.
- xvii. The applicants would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by them in their application form and verification of the documents produced by them. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfill any of the eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained. Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfillment of all eligibility conditions
- xviii. SC/ST outstation candidates called for written examination will be paid to and fro travelling allowance of second-class Railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as per rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats and the concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending written examination.
- xix. Download TA forms from < https://recruit.barc.gov.in > TA reimbursement will be subject to the production of self-attested copy of SC/ST Caste certificate, non-employment certificate and tickets/e-ticket. For this purpose, candidates are requested to download and provide the information in Annexure-6 (downloaded from the website https://recruit.barc.gov.in).
- xx. The nature of duties to be performed by the above categories involves working in round the clock shifts, in operational plants and areas.
- xxi. The candidates appointed will be governed by National Pension System
- xxii. NRB/BARC reserves the right to fill up the post or even to cancel / restrict / modify / alter the whole process of recruitment without issuing any further notice or assigning any reason thereof.
- xxiii. Compensatory time for persons with benchmark disabilities shall be provided as per the extant orders of Government of India.

xxiv. Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under Central Government on regular basis after availing the benefit of reservation given to exservicemen for their re-employment are NOT ELIGIBLE for claiming benefits of reservation under Ex-servicemen Category.

7. <u>COPIES OF CERTIFICATES to be submitted at the time of 2nd Stage of selection process</u>

- (a) Educational qualifications, experience (as applicable) and technical qualifications (supported by appropriate mark sheets* indicating the subjects offered at the examinations). (*Semester/Year wise mark sheets and consolidated mark sheet).
- b) Date of birth / Proof of age.
- c) SC/ST category (certificate should have been issued by the authorised authority in the prescribed format given at **Annexure-1***. The community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state).
- d) OBC candidate's caste certificate should be issued by an authorised authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central lists of Other Backward Caste. The crucial date for determining the OBC non-creamy layer certificate will be the closing date of on-line application. The OBC candidates should also enclose self-declaration of non-creamy layer status in the format as given in **Annexure-2***.
- e) OBC for the purpose of AGE RELAXATION AND RESERVATION will mean "persons of OBC categories not belonging to the Creamy Layer" as defined in Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.93 and modified vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 09/3/2004, OM No. 36033/3/2004 –Estt.(Res.) dated 14/10/2008, OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 27/05/2013 and latest modification vide Government of India, Department of Personnel and Training OM No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 13/09/2017(As per the format given in Annexure-3*).
- f) Disability Certificate from the appropriate authority regarding physical disability [as per the format given at **Annexure-4*** (applicable to persons with disability)].
- g) According to the persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on 31/12/1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996)], a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field.
- h) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.

- i) Those SC/ST/OBC persons with disabilities selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates will be considered against unreserved vacancies provided the post is identified for persons with disability of relevant category (as applicable).
- j) Proof of the effect that they have been affected by 1984 riots (if claiming age relaxation).
- k) EWS (Economically Weaker Section) Reservation: Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST/OBC and whose family gross annual income is below Rs.8 Lakh (Rupees eight lakh) are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS. The income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. Also candidates whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of family income:
 - (a) 5 acres of agricultural land and above;
 - (b) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - (c) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - (d) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
- I) The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.
- m) The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
- n) The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in **Annexure 5*** shall only be accepted as candidate's claim as belonging to EWS:
 - (a) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / 1stClass Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluk Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner
 - (b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate
 - (c) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
 - (d) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- o) The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess Income and Asset Certificate as on closing date of registration of application. Further, these candidates are also required to produce valid Income and Asset Certificate during document verification. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained and the candidature / kapplication of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (UR) category, will be considered under General (UR) vacancies only.
- p) EWS status as on the closing date for online application for the advertisement shall only be considered for availing reservation benefits, if eligible. Any change in the community/EWS status of the candidate thereafter shall not be entertained

- q) The candidates claiming relaxation under the category of 'Ex-Servicemen' are required to provide information in **Annexure 7***.
- r) NOC (in original) from current employer in case a candidate who are already in Central/State Government services, Central/State Government Corporation, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayats.
- s) Any other relevant certificates (as applicable).

*Annexures 1 to 7 can be downloaded from the website < https://recruit.barc.gov.in >

8. WARNING:

- Mere fulfilling of requirements as laid down in the advertisement does not qualify a candidate for a written test/Skill test. No correspondence will be entertained with candidates not selected.
- 2. Candidates will be shortlisted for Written Examination/Skill Test on the basis of the information provided by them in their online application. They must ensure that such information is true. If at any stage, it is found that the information given by them or any claim made by them in their online application is false, their candidature will be liable to be rejected and also liable for any other appropriate action as deemed fit.

Record of the non-selected candidates shall not be preserved beyond 6 months from the date of formation of Select List & no correspondence from such candidates will be entertained thereafter.

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION For queries contact: 022-25597983 / 25597855 / 25597915
